न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–53/2016

रामा देवी एवं अन्य..वादीगण

बनाम

राजू कुमार जयसवाल एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
01.04.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 18.03.2026 को अन्तर्गत आदेश 18 नियम 17 धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल नहीं किया गया है एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के आवेदन दिनांक 18.03.2026 पर अनापत्ति दर्ज करवाया है। वादीगण का आवेदन दिनांक 18.03.2026 पर उभय पक्षों को सुना। पीठ लिपीक अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत करें। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	
	<u>आदेश (ORDER)</u>	
पश्चात् 01.04.2026	अभिलेख कार्यालय से आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2026 को साक्षी सं0–04 कृष्णा कुमार जयसवाल, पिता–वीरेन्द्र साह, साकिन कंडिलपुर, थाना–शिकारपुर, जिला–प0 चम्पारण का उपरोक्त वाद में मुख्य परीक्षण हेतु शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसका प्रति परीक्षण नहीं हुआ। वादी के अभिवक्ता की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण वादी के अभिवक्ता साक्षी का प्रति परीक्षण करने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकें। वादी के द्वारा साक्षी के प्रति परीक्षण हेतु कोई भूल नहीं की गई है बल्कि साक्षी का प्रति परीक्षण संयोगवश नहीं हुआ। यदि उपरोक्त साक्षी का प्रति परीक्षण वादी के द्वारा नहीं किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी और वादी न्याय से वंचित हो जाएंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त प्रतिवादी साक्षी सं0–04 को प्रति परीक्षण हेतु आदेश देने की कृपया	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–53/2016

रामा देवी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

राजू कुमार जयसवाल एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 01.04.2026	प्रदान करें। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आवेदन दिनांक 18.03.2026 का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के आवेदन दिनांक 18.03.2026 पर अनापत्ति दर्ज करवाया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01 द्वारा प्रतिवादी साक्षी सं0–04 कृष्णा कुमार जयसवाल का परीक्षण दिनांक 07.02.2026 को कराया गया और वादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षण हेतु न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण साक्षी को उन्मोचित कर दिया गया। वादीगण की ओर से दिनांक 18.03.2026 को आदेश 18 नियम 17 धारा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया और प्रार्थना किया गया कि यदि प्रतिवादी साक्षी सं0–04 का प्रतिपरीक्षण वादीगण के द्वारा नहीं किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और वादीगण न्याय से वंचित हो जाएगा। न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है और प्रतिवादी सं0–01 को निर्देश दिया जाता है कि साक्षी सं0–04 कृष्णा कुमार जयसवाल का प्रति परीक्षण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद दिनांक 06.05.2026 को प्रतिवादी–01 के साक्षी सं0–04 कृष्णा कुमार जयसवाल का प्रतिपरीक्षण वादीगण द्वारा करने वास्ते निश्चित किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	